

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-58/2019- 1120 व०प०, राँची, दिनांक- 11/04/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- खूँटी वन प्रमंडल के अंतर्गत मेसर्स रूँगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची का गै०स०प्रे०स०-3601234 दिनांक-23.11.2021
2. आपका पत्रांक-16 दिनांक-04.01.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा खनन के संदर्भ में वनभूमि अपयोजन के अद्यतन प्रावधानों को संलग्न कर संचिका पुनः उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है।

अनुरोध है कि मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वांछित प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

45

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-58/2019-3510 व०प०, राँची, दिनांक-14/12/2021

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- खूँटी वन प्रमंडल के अंतर्गत मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में
खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची का गै०स०प्रे०सं०-3601234 दिनांक-23.11.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए
अनुरोध है कि खनन के संदर्भ में वनभूमि अपयोजन के अद्यतन प्रावधानों से संबंधित प्रतिवेदन विभाग
को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

14/12/2021

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।